निर्णय वइजलास श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 44 / 07 प्रार्थना पत्र
दायरा दिनांकः–10.08.2007
निर्णय दिनांकः– 19.9.23

उनवान

1. घनश्याम पुत्र श्री गंगाराम जाति धाकड निवासी नलका हाल बाय जी नगर रोड बारां तहसील बारां
2. शांतिलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति धाकड निवासी नलका हाल बाय जी नगर रोड बारां तहसील बारां
3. जगदीश पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी नलका हाल बाय जी नगर रोड बारां तहसील बारां
4. धन्नी बाई बेवा गंगाराम जाति धाकड निवासी नलका हाल बाय जी नगर रोड बारां तहसील बारां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांकः– 19.9.23

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री निर्मल सिंह चौहान– प्रार्थी
2. श्री ....

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल नलका तहसील बारां में आराजी खसरा नं0 हाल 419 रकबा 0.61 है0 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम से बतोर खातेदार कृषक अंकित है। उक्त आराजी के आगे विवादीत आराजी कहा गया है। उक्त खसरा नं0 419 रकबा 0.61 है0 का पूर्व में साबिक खसरा नं0 397 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा था। साधारण गुणन अनुसार पूर्व रकबा [illegible] 15 बिस्वा का नया रकबा 0.76 है0 दर्ज होना चाहिये था [illegible] दर्ज किया इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने 0.15 है0 आराजी [illegible] जिसे प्रार्थी पूरा करा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। उक्त कमी रकबा को पूर्ण करवाने के लिये प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं उसके अधिनस्थ कर्मचारियो से कई बार मोखिक एवं लिखित में निवेदन किया लेकिन प्रार्थी के निवेदन पर काई ध्यान नही दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी ग्राम नलका सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 1, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम नलका सम्वत् 2038–57 नकल जमाबन्दी ग्राम नलका सम्वत् 2023–2026 खाता संख्या 11 नकल मानचित्र सन् 1978–77 पेश की गई पेरोकार सरकार ने अपने जवाब के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम नलका सम्वत् 2067–70 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी नलका सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 36 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताया कि विवादित आरजी वाके ग्राम नलका में स्थित है खसरा नम्बर 419 रकबा 0.61 है0 का पूर्व में साबिक खसरा नम्बर 397 रकबा 4.15 बीघा था। परन्तु सेटलमेन्ट के समय 4.15 बीघा का 0.61 है0 दर्ज कर दिया जबकि 0.76 है0 होना चाहिये था 0.15 है0 कम भूमि दर्ज की गई है जिसे प्रार्थी पूरा कराना चाहता है सेटेलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का किया गया रकबा की पूर्ति की जावे। प्रार्थी द्वारा त्त्श्र (29) 2022 पेश 389 दृष्टान्त की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नम्बर 419 रकबा 0.61 है0 गंगाराम पुत्र मांगीलाल के खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी के कालम संख्या 11 से 13 में नामा0 संख्या 388 दिनांक 5.09. 2006 से मृतक गंगाराम के स्थान पर वारिसान घनश्याम,शान्तिलाल, जगदीश पुत्र गंगाराम,धन्नी बाई बेवा का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम नलका सम्वत् 2038–57 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 397 का हाल खसरा नम्बर 0.61 है0 दर्ज है इससे यह साबित होता है कि साबिक खसरा नम्बर 397 का हाल खसरा नम्बर 419 बना जिसका रकबा 0.61 है0 दर्ज है तहसीलदार बारां ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम नलका गत जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 खाता संख्या 11 पर खसरा नम्बर 397 रकबा 4.15 बीघा भूमि गंगाराम पुत्र मांगीलाल धाकड के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 में नवीन खसरा नम्बर 419 रकबा .061 है0 भूमि मृतक गंगाराम के वारिसान के दर्ज हुई मिलान क्षैत्रफल सेटलमेन्ट 2038–57 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 397 के हाल खसरा नम्बर 419 रकबा 0.61 है0 दर्ज है गत खसरा नम्बर का रकबा अंकित नही है इसलिए यह स्पष्ट नही होता कि खसरा नम्बर में रकबा बेशी हुआ है ताकि कमी पूर्ति की जा सके। वर्तमान जमाबन्दी 2067–70 के अनुसार खाता संख्या 66 में खसरा नम्बर 419 रकबा 0.15 है0 दुर्गादेवी पत्नि सेवनदास सिंधी तथा खाता संख्या 36 पर खसरा नम्बर 629/419 [illegible] भूमि गीता देवी पत्नि योगेश सिंधी के नाम दर्ज है इस प्रकार खसरा नम्बर [illegible]9 का वर्तमान रकबा 0.61 है0 अन्य खातेदारो के दर्ज है प्र[illegible] अंकित नही किया कि किस खसरा नम्बर के खातेदार [illegible] जा सकती है तथा पुराने खसरा नम्बर 397 रकबा 4.15 बीघा का नक्शा आस [illegible]ोस के कृषको के खेत सहित नही लगाया गया है न ही क्षतिपूर्ति वाले खातेदार को पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जावे। अप्रार्थी पेरोकार के जवाब एवं प्रार्थी द्वारा पस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है कि प्रार्थी यह साबित करने मे विफल रहा है कि प्रार्थी के रकबे कि किस खसरा नम्बर से पूर्ति की जा सकती है प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित होगा।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड अधिकारी,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner